

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-रानी की सराय

एक अदद कड़ा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश तिवारी के कुशल निर्देशन में दिनांक 03.11.2020 उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह के क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर ने सूचना दिया कि सोनवारा से दाऊदपुर जाने वाले मोड़ पर एक व्यक्ति अवैध असलाह लिये खड़ा है। मुखबिर की इस सूचना पर बिना देरी किये क्षेत्र में मौजूद ईगल मोबाईल पर लगे कर्मचारी का0 अजीत यादव व का0 सुधांशु यादव को सोनवारा बुला कर पुलिस बल को साथ लेकर सोनवारा से दाऊदपुर मोड़ के पास पहुंचकर वहां खड़े एक व्यक्ति को एक बारगी घेरकर एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 18.25 बजे गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम मो0 उमर पुत्र स्व0 अशफाक अहमद निवासी ग्राम सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 157/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त

मो0 उमर पुत्र स्व0 अशफाक अहमद निवासी सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद अवैध तमंचा तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 157/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 433/15 धारा 147/148/149/352/504/307 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 235/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 157/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रानी की जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह थाना रानी की सराय आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

पाक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.11.2020 को महाराजगंज थाना क्षेत्र की निवासी महिला ने थाना महाराजगंज पर शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 31.10.2020 की रात में मेरी जेठानी का लड़का अजीत पुत्र विजय चौहान द्वारा मेरी नाबालिक बेटी के साथ कोने में ले जाकर अश्लील हरकत किया तथा दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 226/20 धारा 354ख IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2020 को उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण के देखभाल क्षेत्र, जाँच प्रा0 पत्र व तलाश वांछित व पेंडिंग विवेचना व वांछित

अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 226/20 धारा 354ख IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अजीत पुत्र विजय चौहान सा0 देवारा जदीद जोड़वावर (सरन चौहान का पुरा) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद हैं , इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते आरोपी के घर के पहुंचे जहाँ पर एक व्यक्ति अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। मुखबिर खास इशारा करके हट बढ़ गया पुलिस टीम द्वारा चारपाई पर बैठे एक व्यक्ति को एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम अजीत पुत्र विजय चौहान सा0 देवारा जदीद जोड़वावर (सरन चौहान का पुरा) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया गया , पकड़ा गया व्यक्ति मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 354ख IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट का वांछित आरोपी है। कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 08.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0226/20 धारा 354ख IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त

अजीत पुत्र विजय चौहान सा0 देवारा जदीद जोड़वावर (सरन चौहान का पुरा) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

SHO गजानन्द चौबे, उ0नि0 हौसिला सिंह, हे0का0 उमाकान्त यादव, हे0का0 रमेश कुमार, का0 रामशरन

थाना- महाराजगंज

पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.11.2020 को महाराजगंज थाना क्षेत्र के वादी ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 31.10.2020 को समय 03.00 बजे शाम को मेरे गांव का लड़का अस्फाक पुत्र जुलफेकार सा0 नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ मेरी बहन उम्र 06 वर्ष को बच्चों के साथ खेलते हुए उसे छत पर ले जाकर गलत काम करने का प्रयास किया और जब मैंने अस्फाक की माँ से इस बारे में पूछना चाहा तो उसकी माँ गाली गुप्ता करने लगी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0227/20 धारा 354क, 354ख, 504 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में आज दिनांक 04.11.2020 को उ0नि0 हौसिला सिंह मय हमराहीयान कर्मचारीगण के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, जाँच प्रा0 पत्र व वांछित आरोपीगण की गिरफ्तारी व पेंडिंग विवेचना मु0अ0सं0 227/20 धारा 354क, 354ख, 504 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट में मामूर थे कि मुखबिर ने बताया कि मु0अ0सं0 227/20 धारा 354क, 354ख, 504 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट से संबंधित आरोपी अस्फाक पुत्र जुलफेकार सा0 नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद हैं, उक्त सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम ने मौके पहुँचकर देखा कि एक व्यक्ति अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था, जिसे पुलिस द्वारा एकबारगी दबिश देकर घेर कर पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम अस्फाक पुत्र जुलफेकार सा0 नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया, आरोपी उपरोक्त को मु0अ0सं0 227/20 धारा 354क, 354ख, 504 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट का अपराध बताकर समय करीब 08.00 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0227/20 धारा 354क, 354ख, 504 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

अस्फाक पुत्र जुलफेकार सा0 नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे, उ०नि० हौसिला सिंह, हे०का० उमाकान्त यादव, हे०का० रमेश कुमार, का० रामशरन

थाना निजामाबाद

छेड़छाड़ के अभियोग में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 03.11.2020 को वादिनी मोनी पुत्री नन्दू राम सा० शाहपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 02.11.2020 को वादिनी द्वारा शौच जाते समय गाव के ही भरत पुत्र पलटू व सुरज पुत्र रामधनी साकिनान शाहपुर थाना निजामाबाद द्वारा वादिनी को अकेला देखकर अरहर के खेत में ले जाकर छेड़खानी करने व वादिनी द्वारा शोर करने पर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 196/20 धारा 354 क भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त मुकदमें नामजद अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में उ०नि० रामप्रकाश सिंह मय हमराहीयान के मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उसके मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तगण 1. भरत पुत्र पलटू 2. सुरज पुत्र रामधनी साकिनान शाहपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ कहीं भागने के फिराक में सेन्टरवा तिराहे पर किसी वाहन का इन्तजार कर रहे हैं मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर उ०नि० मय हमराही के सेन्टरवा तिराहे पर पहुंचे की मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति के पास जैसे ही पहुंचे तो खड़े व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे जिसको तत्काल मौके पर ही समय करीब 07.30 पर घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम क्रमशः 1. भरत पुत्र पलटू 2. सुरज पुत्र रामधनी साकिनान शाहपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताये चूकि मुकदमा उपरोक्त में 1. भरत पुत्र पलटू 2. सुरज पुत्र रामधनी उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण हैं कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु०अ०सं०- 196/20 धारा 354क भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. भरत पुत्र पलटू 2. सुरज पुत्र रामधनी साकिनान शाहपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ०नि० रामप्रकाश सिंह मय हमराही यान थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना सिधारी

हत्या का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त 24 घन्टे के अन्दर गिरफ्तार

वादी मुकदमा अमित कुमार सिंह पुत्र श्री हरिशंकर सिंह साकिन रैदोपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर तहरीर दिया जिसमें दिनांकित 03.11.20 प्रार्थना पत्र बाबत वादी का अपने गाड़ी संख्या यूपी50 बीई 7777 के पास खड़े होने के दौरान वाहन संख्या यूपी50 एजे 5171 स्विफ्ट कार का चालक व बैठे व्यक्ति द्वारा जान मारने की नियत से वादी की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार व मरवा देना जिससे वादी तथा वादी के भाई का बाल बाल बच जाना। गाड़ी में से धर्मेन्द्र यादव गाड़ी से निकलकर जान मारने की धमकी देना तथा चार अन्य लोग द्वारा भी धमकी देते हुए भाग जाने के संबंध में दाखिला तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 195/20 धारा 307/506 भादवि बनाम धर्मेन्द्र यादव पुत्र मनोज प्रसाद ग्राम सलारपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व चार अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की लगातार तलाश की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा० राजेश तिवारी के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी सिधारी के नेतृत्व में नि०अ० अरविन्द कुमार पाण्डेय मय हमराह कर्म० गण के थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र पेण्डिंग विवेचना तलाश वांछित अभियुक्तगण में भ्रमणशील थे कि जरिये मुखवीर सूचना मिली कि कल जो घटना अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव अपने साथियों साथ किया था वह धर्मेन्द्र यादव अपने क्षतिग्रस्त वाहन के साथ हाईडिल चौराहा के आगे ओवरब्रिज के पास खड़ा है कार मिस्त्री को बुलाया है। इस सूचना पर नि०अ० मय हमराही कर्म० गण मय सरकारी वाहन के हाईडिल चौराहा के पास पहुँचकर वाहन सरकारी को

चौराहा के पास आड़ में खड़ा कराकर सरकारी वाहन जीप से उतर आसनाय राह से ओवरब्रिज के तरफ चल दिये कि एक ब्यक्ति एक क्षतिग्रस्त कार के पास खड़ा था कि मुखवीर ने इशारा करके पिछे मुड़कर चला गया कि एक बारगी घेरकर क्षतिग्रस्त वाहन के पास खड़े ब्यक्ति को समय 13.50 बजे के लगभग पकड़ लिया गया। पकड़े ब्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम धर्मेन्द्र यादव पुत्र मनोज प्रसाद यादव सा0 सलारपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष बताया कि इत्मिनान होने पर पकड़े ब्यक्ति को अपराध का बोध कराकर बकायदा वाजाफता हिरासत पुलिस में लिया गया। तथा पास खड़े क्षतिग्रस्त वाहन के सम्बन्ध में बताया की इसी गाड़ी से घटना हुई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

धर्मेन्द्र यादव पुत्र मनोज प्रसाद ग्राम सलारपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

घटना मे प्रयुक्त वाहन सं0 यू0पी 50 AJ 5171 स्वीफ्ट कार

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 195/2020 धारा 307/506/427 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 193/20 धारा 419/420/406 भादवि
2. मु0अ0सं0 195/2020 धारा 307/506/427 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र थाना सिधारी आजमगढ़
2. नि0अ0 अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़
3. उ0नि0 जाफर खाना थाना सिधारी आजमगढ़
4. हे0का0 राकेश मिश्रा थाना सिधारी आजमगढ़
5. का0 अमानत अली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
6. का0 इन्द्रजीत गोड़ थाना सिधारी आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 04.11.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में उ.नि. राजेन्द्र कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा पर मु 0अ0सं0-237/20धारा 147,148,376,511,354,352,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द , 3(1)ध, 3(2)5SC.ST. Act से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विजय यादव पुत्र बहादुर यादव निवासी गूजरपार थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ को गुजरपार बाजार से समय 11.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.स.237/20 धारा 147,148,376,511,354,352,504,506 भा.द.वि. व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1) द , 3(1) ध , 3(2) 5 SC.ST. Act थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

विजय यादव पुत्र बहादुर यादव निवासी गूजरपार थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

उ.नि. राजेन्द्र कुमार थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

हे.का. संतोष कुमार यादव थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

का0 मनोज सिंह थाना मुबारकपुर ,जनपद-आजमगढ़